

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)


संख्या देवी ..... बनाम श्री विद्यान  
 एक्ट 09/04 मुकदमा नं. 04 सन् 2022 जीसीएमएस नम्बर 2023/318

हुण या कार्यवाही नय इतिवियस्त जज

नम्बर व तारीख  
 अहकाम जो इस  
 हुण की तामिल  
 में जारी हुए


23/08/23

प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री पद्मवती देवी द्वारा विरुद्ध अप्रार्थी/अप्रार्थीगण पेश किया गया। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी/अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 13 राजस्थान कारशतकारी अधिनियम, 1955/राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि सवारों की कमी होने के कारण अप्रार्थी/अप्रार्थीगण के नोटिस की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाना चाहते हैं। चूंकि सवारों की कमी होने के कारण तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक करवाना आवश्यक हैं। नोटिस की तलबी हेतु प्रार्थी के खर्च पर नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक वास्ते, प्रार्थी अधिवक्ता को दस्ती दी जावे। अप्रार्थी/अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी जारी होकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 25/10/23 को पेश हो।

  
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
 रायपुर (पाली)


25/10/23

पद्मवती देवी पेश हुई।  
वकुलान उपस्थित  
 नोटिस की तलबी इतजार/30 = पेश।  
 होने हेतु पद्मवती वाला दिनांक 26/10/23 को पेश हो।

  
 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
 रायपुर

26/10/23

पद्मवती देवी पेश हुई।  
वकुलान उपस्थित  
 P/C नोटिस पेश करने/तामिल इतजार/पेश  
 होने पर जारी हो। पद्मवती वाले तलबी  
 इतजार दिनांक 06/11/23 को पेश हो।

  
 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
 रायपुर

06/11/23

पद्मवती देवी पेश हुई।  
वकुलान उपस्थित  
 प्रार्थी अधिवक्ता ने रजिस्टर्ड डाक के पत्र  
 तलबी पेश किये हैं तामिल के माध्यम से उपस्थित  
 हैं अप्रार्थीगण संख्या 01 से 14 के विरुद्ध प्रार्थी  
 अधिवक्ता के कोर्ट में जाने हैं प्रार्थी  
 अधिवक्ता के निवेदन किये कि उक्त प्रार्थीगण

को स्वीकार कर प्राचीनता को पुनर्जागरण  
का माध्यम प्रदान करेगा /  
 एहका संशोधन की गई /  
 एहका एक पत्राचार के माध्यम से  
 पर्याप्त प्राचीन पर कक्षा 10 विषय  
 13% स्वीकार किसे जीने के माध्यम  
 दिने जाते हैं एवं प्राचीनता को पुनर्जागरण  
 का माध्यम प्रदान किया जाता है एहका  
 तिथि 10/6/2017 (अतिरिक्त / माली) पुनः  
 हर्ज की / पत्राचार के माध्यम से  
 नमस्ते से कम हो /

[Signature]

सहायक कमिश्नर एवं उपसहायक अधिकारी  
बामपुर